पत्रांक : 11/वि1–50/2013......... 1689

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक :

के०वी०एन०सिंह,
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम
सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत।
सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थपना)

पटना, दिनांक : 03/09/2015, 2015

विषय : माध्यमिक शिक्षक/उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के नियोजन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1594 दिनांक 12.12.2014, 620 दिनांक–02.04.2015, 1304 दिनांक 30.06.15, 1397 दिनांक 13.07.15 एवं पत्रांक 1550 दिनांक 14.08.15

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि प्रसंगाधीन पत्र द्वारा चतुर्थ चरण अन्तर्गत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के संबंध में निदेश दिया गया था। उल्लेखनीय है कि चतुर्थ चरण अंतर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए माह मार्च, मई, जुलाई, 2015 में नियोजन का कार्यक्रम निर्धारित करते हुए अगस्त माह में चतुर्थ समव्यवहार की तिथि निर्धारित की गयी।

प्राप्त सूचनानुसार नियोजन इकाईयों द्वारा उपर्युक्त समव्यवहार में नियोजन की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं की गयी है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 1550 दिनांक 14.08.15 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अद्यतन प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः विभागीय पत्रांक 1681 दिनांक 01.09.15 के आलोक में निदेशित विहित प्रपत्र में नियोजन से संबंधित अद्यतन सूचना अविलंब उपलब्ध करायी जाय।

नियोजन इकाईयों द्वारा अगस्त माह में निर्धारित तिथि को नियोजन नियोजन नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा पुनः नियोजन की तिथि निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में नगर निकाय एवं जिला परिषद में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के नियोजनएवं विभागीय पत्रांक 1551 दिनांक 14.08.15 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में पुस्तकालयाध्यक्षोंके नियोजन की कार्रवाई भी सुनिश्चित करने का निदेश नियोजन इकाईयों को दिया जाता है।संबंधित नियोजन इकाई द्वारा कॉउन्सलिंग के उपरांत नियोजन पत्र निम्नवत् कार्यक्रम के अनुसार संपन्न सुनिश्चित करेंगे :–

नगर निकाय	07.09.2015
जिला परिषद	09.09.2015

उच्च माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत नियमावली के प्रावधान के तहत कम्प्यूटर एवं संगीत शिक्षक के मेधा सूची के अनुमोदन होने की स्थिति में उपरोक्त तिथि को नियोजन की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। कतिपय नियोजन इकाईयों के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा यह सूचना दी जा रही है कि बिना अनुमोदित मेधा सूची के नियोजन की कार्रवाई की गयी है जो अधिसूचित नियुक्ति नियमावली में निरूपित निदेशों का उलंघन है। इस प्रकार के मामले संज्ञान में आनेपर नियोजन की पूरी प्रक्रिया रद्द करते हुए दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

उच्च माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत कम्प्यूटर एवं संगीत शिक्षक मेधा सूची के अनुमोदन न होने की स्थिति में पैनल निर्माण समिति से मेधा सूची के अनुमोदनोपरांत निम्न तिथि को नियोजन की प्रक्रिया संपन्न करेंगे :–

नगर निकाय	29.09.2015
जिला परिषद	30.09.2015

विभगीय पत्रांक 1550 दिनांक 14.08.15 द्वारा दिये गये निदेश का अक्षरशः अनुपालन किया जाना आवश्यक है अन्यथा नियोजन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर इसकीसारी जबावदेहीसंबंधित नियोजन इकाई की होगी।

विश्वासभाजन,
3/9/15
(के०वी०एम०सिंह)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक–11/वि1–50/2013...1689... पटना, दिनांक...03/09/15... 2015

प्रतिलिपि : सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कोसूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/9/15
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

F/K.V.N.Singh 14.08.15